मुकदमों का विवरण

मैकेल्ला नागैयाह

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य (रिट याचिका (सीआरएल)) 2022 का सं. 429) सितंबर 05,2023

[बी**.** आर**.** गवई**,** पमिडिगंथम श्री नरसिम्हा और संजय कुमार**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःदोषी ठहराए जाने के बाद नाबालिग होने के लिए याचिकाकर्ता का दावा। **302** आर/डब्ल्यू।धारा **34** भारतीय दंड संहिता सी**.**

किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2000-**याचिकाकर्ता और अन्य सह**-**अभियुक्तों को यू/एस द्वारा दोषी ठहराया गया।**302** आर/डब्ल्यू।धारा **34** भारतीय दंड संहिता सी**.** और आजीवन कारावास की सजा**-**उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा**-**एस**.** एल**.** पी**.** भी खारिज**-**याचिकाकर्ता ने किशोर होने का दावा किया**-**सत्र न्यायाधीश को जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गयाः

आयोजित किया गयाःअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्कूल अभिलेख पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य दर्ज करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता की नाबालिग होने की पुष्टि की-रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 02.05.1989 है-यदि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 02.05.1989 है, तो वह अपराध की तारीख को 16 वर्ष 7 महीने का था, यानी 21.12.2005-s को देखते हुए।16 आर/डब्ल्यू।किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15 (1) (छ), अधिकतम अवधि जिसके लिए याचिकाकर्ता हिरासत में हो सकता था, तीन साल है-याचिकाकर्ता पहले ही 12 साल से अधिक की कैद काट चुका है-रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता को अब कैद नहीं किया जा सकता है-याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया है।[पैरा 5,6,7 और 8] 251

आंध्र प्रदेश राज्य 252

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयःलेखन याचिका (सीआरएल) 2022 का सं. 429

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

रूपः

याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा।

राजीव कुमार चौधरी, श्रीहर्ष पीचारा, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, सुश्री पल्लवी, सुश्री कृति सिन्हा, एस. उदय कुमार सागर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका है।याचिकाकर्ता किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किशोरता और परिणामी आदेशों के अपने दावे का सत्यापन चाहता है। चूंकि इस तरह की याचिका किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है, इसलिए हमने उचित जांच के बाद एक रिपोर्ट मांगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हमने रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिसने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिकतम वैधानिक सजा से बहुत अधिक, यानी तीन साल की कैद झेली है।

2. 21.12.2005 की एक घटना के लिए, याचिकाकर्ता को अपराध संख्या 228/05, पी. एस. सतुपल्ली, (ए. पी.) में अन्य लोगों के साथ एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.), खम्मम ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने अपने दिनांक 10.04.2014 के निर्णय से अपील को खारिज कर दिया और इसे बरकरार रखा।

1 इसके बाद 'किशोर न्याय अधिनियम, 2000'।

/

[2023] 12 एस सी आर।

उपरोक्त दोषसिद्धि।याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका का भी नेतृत्व किया, और इस न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की वास्तविकता के अनुसार अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया।

3. एस. एल. पी. के खारिज होने के दो महीने बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका का नेतृत्व करते हुए अनुरोध किया कि राज्य को उसके किशोर होने के दावे को सत्यापित करने और आवश्यक परिणामी आदेश पारित करने के लिए एक रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जाए।4. चूँकि

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किशोरता का प्रश्न किसी भी न्यायालय के समक्ष और किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए (1) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, और न्यायिक पूर्ववर्ती 2 द्वारा स्वीकार किया गया है, इस न्यायालय ने रिट याचिका में नोटिस जारी किया।राज्य आयोग ने पुलिस निरीक्षक, पीएस सतुपल्ली, खम्मम जिला, तेलंगाना के माध्यम से एक हलफनामे का नेतृत्व करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 1994 से 1997 तक पहली से तीसरी कक्षा तक एम. पी. पी. स्कूल, पुत्रेला मेन, विसन्नापेट मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में अध्ययन किया और उनकी जन्म तिथि 02.05.1989 है।चूंकि किशोरता याचिकाकर्ता के स्कूल दस्तावेजों पर आधारित थी, इसलिए इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका के संबंध में जांच करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), खम्मम, आंध्र प्रदेश को निर्देश देना उचित समझा।सत्र न्यायाधीश को एक जांच करने और स्कूल अभिलेख पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य दर्ज करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

5. आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के किशोर होने के मुद्दे पर खम्मम के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट भेज दी है।13.05.2023 की रिपोर्ट में, FAC II अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खम्मम, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मक्केल्ला नागैया की जन्म तिथि 02.05.1989 है।यह रिपोर्ट दस्तावेजों की विस्तृत जांच पर आधारित है, जिसमें गवाहों सीडब्ल्यू-1 और सीडब्ल्यू-2 के मौखिक साक्ष्य के साथ सी1 से सी7 को प्रदर्शित किया गया है।हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

6. यदि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 02.05.1989 है, तो वह अपराध की तारीख को 16 वर्ष 7 महीने का था, अर्थात 21.12.2005।तदनुसार,

2 हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्र। (2009) 13 एससीसी 211।

याचिकाकर्ता अपराध की तारीख को विधि के साथ संघर्ष में एक किशोर था।

7. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 15 (1) (जी) के साथ पठित धारा 16 को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम अवधि जिसके लिए याचिकाकर्ता हिरासत में हो सकता था, वह तीन साल है।हालाँकि, चूंकि हमारे समक्ष वर्तमान रिट याचिका में किशोरता की याचिका पहली बार उठाई गई थी, आपराधिक विधि की प्रक्रिया, जो 2005 में शुरू हुई थी, के कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और निचली अदालत, उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।इस बीच, याचिकाकर्ता ने 12 साल से

अधिक का कारावास झेला है।द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खम्मम की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद, याचिकाकर्ता को अब कैद नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए, यदि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

लिखित याचिका की अनुज्ञात गई।

अंकित ज्ञान

3 हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 12.07.2022 के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पत्र संख्या आर. सी. 3/1009/2022 दिनांक 13.12.2022 और पत्र संख्या 16 वर्ष की कारावास की सजा काट ली है। आर. सी. 3/1009/2022, दिनांक 21.01.2023, जिसे जेल महानिदेशक द्वारा सरकार को संबोधित किया गया था, याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले अपराध सं. 228/05 में केवल 12 साल 3 महीने और 10 दिनों की सजा काट ली है।